## न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

## रीवा (म0प्र0)

R 5060-III/16

1– राजेश प्रसाद उपाध्याय तनय राममणि उपाध्याय

2– सतानन्द उपाध्याय तनय रामसिया उपाध्याय, दोनो निवासी ग्राम बहेरा (लखन खोरिहान), तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

**———आवेदकगण/निगरानीकर्तागण**

**बनाम**

1– रामफल उपाध्याय तनय जीवनशरण उपाध्याय

2– शीतला तनय रामदास उपाध्याय

3– संतोष तनय रामदास उपाध्याय

4– श्रीमती उर्मिला वेवा रामदास उपाध्याय

5– राममणि तनय जीवनशरण उपाध्याय

6– रामसिया तनय जीवनशरण उपाध्याय

सभी निवासी ग्राम बहेरा (लखन खोरिहान), तहसील मनगंवा, जिला रीवा (म0प्र0)

**———अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 04/02/16 वावत् प्रकरण क0–1085/अपील/2010–11 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5060–दो/2016 जिला–रीवा

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28 –07–16 | आवेदक के अभिभाषक श्री अशोक विश्वकर्मा द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1085/अपील 2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता की धारा 50 के अन्तगर्त निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार तहसील मनगंवा जिला रीवा के आदेश दिनांक 30.11.2009 के विरूद्व अनुविभाग अधिकारी मनगंवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा द्वारा परित आदेश दिनांक 19.05.2011द्वारा अपील खारीज की गई उक्त आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के समक्ष अपील प्ररूतुत की गई अपर आयुक्त द्वारा 04.02.2016 को आदेश परित किया गया उक्त आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में वताया गया कि अनावेदक 1से 4 विचारण न्यायालय में आवश्यक पक्षकार थे मृतक इन्द्रमणि की वसीयत की गई विवादित भूमिंया इनके निजी स्वत्व की थी एवं स्वामित्व की थी उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 21.08.2009 को समक्ष गवाहान वसीयत निस्पादित | |

की थी इस कारण उनकी मृत्यु के क्षण से आवेदक ही एक मात्र हितवाध एवं आवश्यक पक्षकार थे यदि मृतक इन्द्रमणि की मृत्यु विना वसीयत के होती तो उनके उत्तराधिकारी क्र्म कय लागू होता इस तरह 1 से 4 को पक्ष्कार न बनाये जाने पर आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। इस्तहार तामीली एवं साक्षी राजेश के कथन एवं पटवारी प्रतिवेदन गलत तरीके से पेश कर अवेधानिक एवं नियम विरूद्व कार्यवाही की है।

4/ अनावेदक अभिभाषक केविटकर्ता की और से श्री काशी प्रसाद दुवे द्वारा अपने तर्क में वताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के अवलोकन पश्चात विस्तृत विवेचना पर आधरित एवं न्यायोचित आदेश है। अपील स्वीकार करने तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीदार के त्रुटिपूर्ण आदेशो को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नही की है। उचित एंव विधिवत आदेश है।

5/ उभय पक्ष अभिभाषक गणों के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण एवं आदेश का वारिकी से अध्ययन किया। विचाँरणीय विन्दु यह है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को भेजा है कि उभय पक्षों को सुनकर अभिलेखों एच्ं मोके की स्थिति के अनुसार पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देकर गुणदोषो पर आदेश परित करे इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकत नहीं है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य